भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1872
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के तहत कार्य की घटिया गुणवत्ता

†1872. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री संजय दिना पाटीलः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कार्य की घटिया गुणवत्ता से संबंधित अनेक शिकायतों की जानकारी है और क्या सामाजिक एवं जनसंचार माध्यमों से मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में जनता में असंतोष की खबरें आ रही हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और इनकी प्रकृति क्या है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार ने जेजेएम परियोजनाओं का कोई गुणवत्ता मूल्यांकन या लेखापरीक्षा कराई है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मूल्यांकनों से कौन कौन से प्रमुख निष्कर्ष मिले हैं;
(घ) राज्यों में जेजेएम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु स्थापित निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या हैं; और
(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने और जेजेएम के अंतर्गत भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और कार्यों के खराब क्रियान्वयन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल का प्रावधान किया जा सके।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। अत: ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निविदा, शामिल की गई एजेंसियों सहित अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, *अन्य बातों के साथ-साथ,* कार्य की गुणवत्ता, बिलों का भुगतान, कार्य अवार्ड आदि सहित सवाल/शिकायतों आदि पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्रवाई और निपटान किया जाता है। इस विभाग में अब तक प्राप्त ऐसे किसी मामले/अभ्यावेदन को अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ग): पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। कार्यशीलता मूल्यांकन 2022 के दौरान, यह पाया गया कि 86% परिवारों (एचएच) के पास कार्यशील नल कनेक्शन थे। इनमें से 85% परिवारों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा था, 80% परिवारों को उनकी पाइपगत जल आपूर्ति स्कीम के लिए जलापूर्ति अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त हो रहा था और 87% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था। अंतिम कार्यशीलता मूल्यांकन 2022 की एक प्रति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://jaljeevanmission.gov.in/functionality-reports लिंक पर देखा जा सकता है।

(घ): नल जल कनेक्शन के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक बहु-स्तरीय तथा बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है, जिसमें लक्षित सुपुर्दगी और विशिष्ट परिणामों की निगरानी के लिए, सांविधिक प्रावधानों के अध्यधीन, परिवार के मुखिया की आधार संख्या को जोड़ना, सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, भुगतान करने से पहले तृतीय पक्ष निरीक्षण, सेंसर-आधारित आईओटी समाधान आदि के माध्यम से गांवों में जल आपूर्ति का माप और निगरानी शामिल हैं।

(ङ): पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और उसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श तथा उन्हें अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी हेतु मार्गदर्शिका और जल जीवन मिशन की प्रभावी आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइपगत जल आपूर्ति प्रदान करने हेतु विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

***